न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 341 / 2021

इकबाल सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति तरखान साकिन 7 एलजीडब्लयू सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. बलकार सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति तरखान साकिन 7 एलजीडब्लयू सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. गुरदेव कौर पत्नी मेहर सिंह जाति तरखान साकिन 7 एलजीडब्लयू सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. हरबंश कौर पुत्री मेहर सिंह जाति तरखान साकिन 7 एलजीडब्लयू सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. कुलवन्त कौर पुत्री मेहर सिंह जाति तरखान साकिन 7 एलजीडब्लयू सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. बलविन्द्र कौर पुत्री मेहर सिंह जाति तरखान साकिन 7 एलजीडब्लयू सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. सुरजीत कौर पुत्री मेहर सिंह जाति तरखान साकिन 7 एलजीडब्लयू सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. गुरसाहिब सिंह माता छिन्द्र कौर पुत्री मेहर सिंह जाति तरखान साकिन 7 एलजीडब्लयू सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. मनजीत कौर माता छिन्द्र कौर पुत्री मेहर सिंह जाति तरखान साकिन 7 एलजीडब्लयू सदासिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता ———वादी
2. श्री मारूफ पंवार अधिवक्ता ——प्रतिवादी सं. 1 ता 8
3. राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ——प्रतिवादी सं. 9

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :– 23/02/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वाद के पक्षकारो का रजिस्टर्ड पता वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है ।

23/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादी हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है जो परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है ।

वादी के पिता श्री मेहर सिंह पुत्र भाग सिंह के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 7 एलजीडब्लयू–ए के खाता सं. 74 के प.नं. 37/281 के किला नं 7/1, 7/2, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 14, 17, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21 ता 24, 25/1 की कुल 2.530 हैक. व चक 5 एलजीडब्लयू के खाता सं. 41 के प.नं. 39/280, 39/281 की 7.590 हैक. मे से 1/30 हि. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

वादी के पिता श्री मेहर सिंह का देहान्त दिनांक 12.08.2018 को हो चुका है जिनके जायज व कानूनी वारिसान वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 है । उक्त वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिसान है । इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है । पिता श्री मेहर सिंह की उक्त वर्णित कृषि भूमि का पिता श्री मेहरसिंह के देहान्त के पश्चात घरा घरू बंटवारा हुआ और घरा घरू बंटवारा मे प्रतिवादी सं. 2 ता 8 ने अपना–अपना विरासतन हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के हक मे ब.हि.ब. त्याग करने मे सहमत हुये । वादी का कब्जा मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि मे से 5 बीघा कृषि भूमि पर बिना किसी विवाद के चला आ रहा है तथा वादी ने वर्तमान मे उक्तानुसार ही फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख मे प्रश्नगत कृषि भूमि पिता श्री मेहर सिंह के नाम से दर्ज होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है । इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3 मे पिता श्री मेहर सिंह के नाम वर्णित कृकष भूमि मे से 1/2 हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :–

घोषित किया जावे कि चक नं. 7 एलजीडब्लयू–ए के खाता सं. 74 के प.नं. 37/281 के किला नं 7/1, 7/2, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 14, 17, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21 ता 24, 25/1 की कुल 2.530 हैक. व चक 5 एलजीडब्लयू के खाता सं. 41 के प.नं. 39/280, 39/281 की 7.590 हैक. मे से 1/30 हि. कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है जिसमे से मेहर सिंह का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश कर प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तहत डिग्री राजीनामा के डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान अधिवक्ता द्वारा जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:19 IST
Reason: Self Attested

23/04/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि वादी की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत मे वाद मे वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 1 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

(क) वादी को –

चक नं. 7 एलजीडब्लयू–ए के प.नं. 37/281 के किला नं 20/1, 20/2, 21 ता 24, 25/1 की कुल 1.278 हैक.।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 को –

चक नं. 7 एलजीडब्लयू–ए के प.नं. 37/281 के किला नं 7/1, 7/2, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 14, 17, 18, 19/1, 19/2, की कुल [illegible]252 हैक. व चक 5 एलजीडब्लयू के खाता सं. 41 के प.नं. 39/280, 39/281 की 7.590 हैक. मे से 1/30 हि.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:19 IST
Reason: SelfAttested

23/04/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

एवं मेहर सिंह का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

23/02/2022

(रणजीत कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवम्

पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:19 IST
Reason: SelfAttested